[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

## Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals)

## NOTIFICATION

Shastri Bhawan, New Delhi Dated <u>the 9<sup>th</sup> March, 2015</u> [ & Phalguna, Saka 1936

S.O. .....(E). - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the Drugs (Prices Control) Order, 2013 issued by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1221(E), dated 15<sup>th</sup> May, 2013, namely:-

In the said order, in para 2, in sub-para (1), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

'(v) "non-scheduled formulation" means a formulation which is not included in Schedule-I;'.

File No. 31011/1/2013-PI-II (Pt.-II)

Sudhansh Pant

(Sudhansh Pant) Joint Secretary to the Government of India [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में - मार्च, 2015 को प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग)

## <u>अधिसूचना</u>

## <u>नई दिल्ली, १</u> मार्च, 2015 फाल्गुन <sup>1</sup>8 शक 1936

का.आ. ...... (अ)--केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उवर्रक मंत्रालय, औषध विभाग द्वारा जारी ओषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1221(अ) तारीख 15 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:--

उक्त आदेश में पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (फ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :--

· '(फ) "अननुसूचित विनिर्मिति" से वह विनिर्मिति अभिप्रेत है, जो अनुसूची 1 में सम्मिलित नहीं है;'।

फा.सं. 31011/1/2013-पीआई-2 (पार्ट-2)

सुधाश पत

(सुधांश पंत) संयुक्त सचिव, भारत सरकार